रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सचिवालय पुस्तकालय SECRETARIAT LIBRARY 5/2/99 GOVT. OF INDIA भारत सरकार

सं० 201] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 1998/भाद्र 20, 1920
No. 201] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 1998/BHADRA 20, 1920

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
संकल्प

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1998

सं. ए-42012/1/98-व्य. 4.—उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र प्रशुल्क आयोग के गठन को, इसके विचारणीय विषयों सहित 2 सितम्बर, 1997 को संकल्प सं. ए-42012/24/91-व्य. 4 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। विचारणीय विषय की अब समीक्षा कर ली गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि प्रशुल्क आयोग के संशोधित विचारणीय विषय निम्नलिखित प्रकार से होंगे :—

(i) वस्तु तथा सेवा में व्यापार से सम्बन्धित प्रशुल्क निर्धारण तथा प्रशुल्क संबंधी सभी मामलों पर, सरकार द्वारा भेजे गये तथा उपभोक्ताओं के मामलों पर उत्पादन, व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों के हितों तथा अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में सिफारिशें देना।

(ii) सरकार द्वारा दिये गये विषयों के अनुसार विश्व व्यापार संगठन ढांचा के एक भाग के रूप में व्यापारिक भागीदारों से प्राप्त पेशकशों को बाजार तक पहुंचने का आलोचनात्मक अध्ययन करना तथा इन पेशकशों से उत्पन्न अवसरों तथा चुनौतियों पर सरकार को सलाह देना।

(iii) एक बहु-आयामी दल के माध्यम से वस्त्र, कृषि, आटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, रसायन, इस्पात तथा इंजीनियरी वस्तुओं जैसे चुनिन्दा क्षेत्रों पर विस्तृत प्रभाव विश्लेषण करना।

(iv) सुधारात्मक प्रक्रिया लागू करने के ध्येय से, आयोग प्रशुल्क के दायरे से धीरे-धीरे बाहर निकलने की सिफारिश करने के लिए चुनिन्दा उद्योगों हेतु, अपेक्षित संक्रांति काल की जांच कर सकता है जैसा कि इसे सरकार द्वारा समय-समय पर भेजा जाता है।

(v) चुनिन्दा आर्थिक क्रियाकलापों के लिये प्रशुल्क निर्धारण करने की प्रक्रिया का पता लगाना जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर आयोग को सौंपा जाता है।

(vi) व्यापारिक साझे देशों तथा प्रतियोगी देशों में प्रशुल्क परिवर्तनों की निगरानी करना तथा पर्याप्त रूप से ब्यौरे स्तर पर प्रशुल्क दरों की सूची का अनुरक्षण करना।

(vii) सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य करना।

(viii) अपने कार्यकलापों के सम्बन्ध में सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ix) विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन लागत और अन्य देशों की तुलना में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर तकनीकी अध्ययन चलाना।

(x) सरकार द्वारा भेजे गये मामलों पर सामान तथा उत्पादों के वर्गीकरण और ऐसे सामान और उत्पादों पर लागू प्रशुल्क के सम्बन्ध में सलाह देना।

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Policy & Promotion)
RESOLUTION

New Delhi, the 8th September, 1998

No. A-42012/1/98-E.IV.—The constitution of an independent Tariff Commission under the Department of Industrial Policy & Promotion in the Ministry of Industry was

notified vide Resolution No. A-42012/24/91-E. IV dated the 2nd September, 1997 along with its Terms of Reference. The Terms of Reference have since been reviewed and it has been decided that the revised Terms of Reference of the Tariff Commission shall be as follows:

(i) To make recommendations as an expert body, on matters referred to it by Government regarding fixation of tariff and all tariff related issues in relation to trade in goods and service, keeping in view the interest of various sectors including production, trade and consumers and taking into account the international commitments. The Commission should aim at evolving an overall tariff structure and look into the issue of tariff rationalisation.

(ii) As per reference made by the Government, to study critically market access offers received from trading partners as part of WTO framework and to advise the Government on the opportunities and challenges generated by these offers.

(iii) To make a detailed impact analysis on select sectors like textiles, agriculture, automobiles, information technology, chemicals, steel and engineering goods through a multi-disciplinary team.

(iv) In order to facilitate reforms process, the Commission may examine the transition-period required for select industries to recommend the gradual phasing-out of the tariffs as referred to it by the Government from time to time.

(v) To identify the tariffication process for select economic activities as referred to the Commission by the Government from time to time.

(vi) To monitor the tariff changes in the competing and trade-partner countries and maintain an inventory of tariff-rates at a sufficiently detailed level.

(vii) To undertake such other tasks as may be assigned by the Government from time to time.

(viii) To present an annual report to the Government of its activities.

(ix) To carry out technical studies on cost of production of different goods and services and their competitiveness in relation to other countries.

(x) To render advice on issues referred to it by the Government on classification of goods and products along with applicable tariff on such goods and products.

ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.